Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **भीलवाड़ा में सहायक उपनिरीक्षक पुलिस 10 हजार रूपये रिश्वत द्वारा रिश्वत लेने का मामला**
- **एसीबी कार्यवाही भनक लगने पर आरोपी मौके से हुआ फरार, तलाशी जारी**

जयपुर, *23 सितम्बर,* शुक्रवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर चित्तौड़गढ़ इकाई द्वारा आज भीलवाड़ा में कार्यवाही करते हुये विजय सिंह सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, थाना सुभाषनगर, जिला भीलवाड़ा को परिवादी से 10 **हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की चित्तौड़गढ़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध दर्ज प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं करने और मामले को रफा–दफा करने की एवज में विजय सिंह सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, थाना सुभाषनगर, जिला भीलवाड़ा द्वारा **22 हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरवीजन में एसीबी की चित्तौड़गढ़ इकाई के **पुलिस निरीक्षक श्री दयालाल चौहान** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा भीलवाड़ा में ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया कार्यवाही के दौरान आरोपी विजय सिंह सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, थाना सुभाषनगर, जिला भीलवाड़ा द्वारा परिवादी से **10 हजार रूपये** की रिश्वत राशि स्वीकार की, परन्तु एसीबी कार्यवाही की भनक लगने पर मौके से फरार हो गया। आरोपी की तलाश की जा रही है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।